

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय, जिला बारा

क्रमांक

१/२५

दिनांक २५.१.२५

विषय :-

प्राप्ति को पुलन्ता के श्री श्री श्री गिराज प्रसाद को संबन्धित पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम शेखापुर बल्हारपुर पुर्ण पट्टा सूडवा जिला बारा की चालू जमाबंदी सन्वत् १०७९ के आता सख्या ६५, ५० में स्वामिदार पुलन्ता का नाम पुलन्ता / पुलन्ता पुत्री सुशीला देवी के नाम पर पुलन्ता अधिकृत किया जाता प्राप्ति के आदेश पर उसे जाय परिवारी से करवाने पर परिवारी ने पुलन्ता / पुलन्ता के बजाय पुलन्ता करना उचित बताया। तहसीलदार पुलन्ता ने भी उक्त खाते में पुलन्ता / पुलन्ता के बजाय पुलन्ता करना उचित बताया। अतः परिवारी एवं तहसीलदार की लिखित से आधार पर जिला न्यायालय मुसलमान न्यायालय एवं नियम १२ के अन्तर्गत पुलन्ता (वि. अधिनियम) नियम १२ के अन्तर्गत ग्राम शेखापुर, बल्हारपुर के आता सख्या ६५, ५० में स्वामिदार / परिवारियों का नाम पुलन्ता / पुलन्ता के स्थान पर सम्मानजनक रूप से पुलन्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उक्त तदनुसार नया रिकार्ड में सुधार करे।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (Land Record Officer)  
 जिला बारा  
 उपखण्ड अधिकारी  
 छकडा (बारा)